राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएँ

- राजकीय विद्यालयों में योग्यताधारी व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य।
- विद्यार्थी एवं विद्यालय के विकास के लिए समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति संचालित जिसमें अभिभावक, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी स्वयं तथा शिक्षक की सहभागिता।
- प्रतिमाह विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) की कार्यकारिणी समिति की बैठक।
- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) एवं विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा।
- कक्षा 8 के मेधावी एवं पात्र विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एवं प्री कारगिल तथा पोस्ट कारगिल युद्ध में शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों के लिए नियमानुसार छात्रवृत्ति।
- बाल-सभा के माध्यम से विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के अवसर एवं विद्यालयों का समुदाय से जुड़ाव।

समावेशी शिक्षा

राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षान्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु निम्न सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है :-

1. ब्रेल पुस्तकों एवं लार्ज प्रिन्ट पुस्तकों की व्यवस्था।
2. मेडिकल कम असेसमेन्ट कैम्प।
3. अंग-उपकरण वितरण।
4. परिवहन भत्ता।
5. एस्कॉर्ट भत्ता।
6. रीडर भत्ता।
7. बालिकाओं हेतु भत्ता (Stipend for Girls)
8. पूर्ण दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण।

बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क
हेल्पलाइन नं. 1098

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

हमारा राजस्थान

कक्षा–8

भाग–3

DIKSHA

DIKSHA का उपयोग करके डिजिटल पाठ्य सामग्री कैसे देखें ?

अपने मोबाइल ब्राउज़र पे diksha.gov.in/app टाइप करें और इन्स्टाल बटन पे टैप करें।

अथवा

Google Play Store पर DIKSHA सर्च करें और इन्स्टाल बटन पे टैप कर ऐप को डाउनलोड करें।

मोबाइल पर QR कोड का उपयोग करके डिजिटल पाठ्य सामग्री कैसे देखें

1. पसंदीदा भाषा का चयन करें
2. अपनी उपयुक्त भूमिका चुनें : छात्र या शिक्षक
3. ऐप अनुमतियों को स्वीकारें
4. QR कोड को स्कैन करने के लिए टैप करें
5. कैमरा को पाठ्यपुस्तक में दिए गए QR कोड के ऊपर केंद्रित करें
6. QR कोड से जुड़ी डिजिटल पाठ्य सामग्री देखने के लिए क्लिक करें
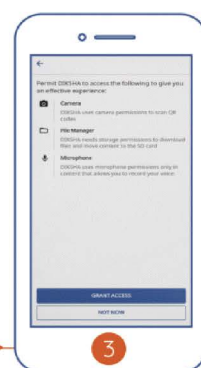
डेस्कटॉप पर QR कोड का उपयोग करके डिजिटल पाठ्य सामग्री कैसे देखें

QR कोड के निचे आप अंको का एक कोड देख पाएंगे

अपने डेस्कटॉप ब्राउज़र पे diksha.gov.in/ncert/get टाइप करें

QR कोड के निचे दिए गए अंकों को सर्च बार में टाइप करें

उपलब्ध पाठ्य सामग्री की सूची देखें और अपनी पसंद के किसी भी पाठ्य सामग्री पर क्लिक करें

भारत का संविधान

भाग 4 क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता–पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

हमारा राजस्थान

कक्षा – 8

भाग–3

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ,उदयपुर

प्रकाशक

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर

प्रथम संस्करण :

मुद्रण :

©
©
©

मूल्य :

पेपर उपयोग :

प्रकाशन :

आवरण पृष्ठ एवं साज–सज्जा

डॉ. जगदीश कुमावत, आर.एस.सी.ई.आर.टी
हेमन्त आमेटा, आर.एस.सी.ई.आर.टी

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

प्राक्कथन

वीर प्रसूता ये धरा, अनुपम राजस्थान,
अमर हमेशा ही रहे, मरुधरा का मान।
सदियों से होता रहा, इसका गौरव गान,
प्रीत रीत माने सदा, अद्भुत राजस्थान।।

राज्य सरकार के निर्णयानुसार, कक्षा 6 से 8 के लिए, राज्य में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें राज्य के समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–21 से लागू की जा रही है। इन पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इतिहास, भूगोल, नागरिक–शास्त्र व अर्थ तंत्र के ज्ञान को आत्मसात करेगा। इसके साथ ही प्रासंगिक होगा कि, आन–बान–शान, शौर्य और बलिदान के लिए सुविख्यात राजस्थान की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक एवं राजनैतिक तथ्यों की बहु–पक्षीय जानकारी के साथ विद्यार्थी तादात्म्य स्थापित कर सके।

राजस्थान देश भर में अपनी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। व्यास, चंबल, बनास, लूनी, घग्गर नदियों के वरदान को समेटे हुए रेतीला, बंजर, पर्वतीय, उपजाऊ कच्छारी मिट्टी से अवस्थित हमारा राज्य जहां एक ओर सादगी व अपनेपन के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर रंग–बिरंगी वेशभूषा एवं मनोहारी लोक–कलाओं के लिए जाना जाता है। दुर्गों एवं हवेलियों की भूमि, राजस्थान हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। राजस्थान की इन्हीं विभिन्न विशेषताओं को पाठ्य पुस्तक "हमारा राजस्थान" में समाहित किया गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2005, विद्यार्थी के द्वारा अर्जित ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ने हेतु निर्दिष्ट करती है। अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया, विद्यार्थियों के लिए ज्ञानार्जन के अवसर सृजित करने हेतु प्रवृत्त करती है। इसी उद्देश्य से पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों को, रचनात्मक गतिविधियों एवं अभ्यास के अवसर प्रदान किए गए हैं।

इस पुस्तक को तैयार करने में संवैधानिक मूल्यों व राज्य की सामाजिक, आर्थिक संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा भौगोलिक, सांस्कृतिक तथ्यों को समाहित करने का यथा संभव प्रयास किया गया है। तथापि विद्वजन कोई युक्तियुक्त सुझाव देते हैं, तो सदैव स्वागत रहेगा।

इस पुस्तक निर्माण में, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में जिन व्यक्तियों व संस्थाओं का योगदान रहा है, उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों जैसे वेबसाईट, पोर्टल, ब्लॉग आदि से विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अधिगम सामग्री, चित्रों का उपयोग इस पुस्तक में किया गया है, उनके लिए भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ।

निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

संरक्षक	–	सुश्री प्रियंका जोधावत निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर
मुख्य सलाहकार	–	प्रो. आई.वी. त्रिवेदी पूर्व कुलपति, एम.एल.एस.यू., उदयपुर
परामर्शक	–	प्रो. पी. आर. व्यास, पूर्व आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, एम.एल.एस.यू, उदयपुर
	–	प्रो. संजय लोढ़ा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, एम.एल.एस.यू., उदयपुर
	–	डॉ. जे. के. ओझा, प्राचार्य, राणा प्रताप कन्या महाविद्यालय, भीण्डर
	–	डॉ. एन. के. दशोरा, पूर्व निदेशक, ऐश्वर्या कॉलेज, उदयपुर
मुख्य समन्वयक	–	ललित शंकर आमेटा, प्रभागाध्यक्ष, पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर
समन्वयक	–	आशा माण्डावत, एसोसिएट प्रोफेसर, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर
सह–समन्वयक	–	सविता जोशी, असि. प्रोफेसर, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर
संयोजक	–	डॉ. मृदुला तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर

लेखक समूह	–	डॉ. देवेन्द्र सिंह चौहान, असि. प्रोफेसर, एम.एल.एस.यू. उदयपुर
	–	डॉ. बी.एल. जाखड़, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. भेरूसागर, ओसियाँ, जोधपुर
	–	अब्दुल करीम टांक, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. फालनागांव, पाली
	–	अजय यादव, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. फड़किया, अजमेर
	–	डॉ. योगेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि.अलीगढ़, उनियारा, टोंक
	–	जयदीप कोठारी, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. निचली सिगरी, उदयपुर
	–	डॉ. संजय कुमार सोनी, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि. बीजाथल नागौर
	–	रामावतार यादव, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि. सोहेला, टोंक
	–	खुशवेन्द्र सिंह अधिकारी, अध्यापक, रा.उ.मा.वि. मेरपुर, कोटड़ा
आवरण सज्जा	–	डॉ. जगदीश कुमावत, असि. प्रोफेसर, आर.एस.सी.ई.आर.टी, उदयपुर
तकनीकी सहयोग	–	हेमन्त आमेटा, असि. प्रोफेसर, आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर
क्यू आर कोड	–	रविन्द्र कुमार शर्मा, असि. प्रोफेसर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, अजमेर आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर
कम्प्यूटर ग्राफिक्स	–	अविनाश कुमावत (कोटावाला ऑफसेट), जयपुर

शिक्षकों से संवाद

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा कक्षा 6, 7 एवं 8 के सामाजिक विज्ञान विषय की एनसीईआरटी की पुस्तकें सत्र 2020–21 से राज्य के विद्यार्थियों हेतु लागू की गई है। इन पुस्तकों के साथ राजस्थान राज्य की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 6, 7 एवं 8 हेतु क्रमशः भाग 1, 2, 3 'हमारा राजस्थान' शीर्षक से पाठ्यपुस्तक तैयार की गई है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री के साथ–साथ पाठ्यपुस्तक के कवर पेज एवं लेआउट में निहित संदेश को भी छात्रों तक विस्तार से पहुँचाने का प्रयास किया जावे।

इसमें निहित प्रायोजना कार्य अनिवार्यतः करवाए जाएं, शिक्षक बालक की खोजी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हुए विषय से संबंधित चित्र बनाना, संग्रह करना, मानचित्र बनाना एवं उनमें स्थान चिन्हित करना, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ना, घटनाओं को तिथि क्रम में लिखवाना आदि गतिविधियों द्वारा 'करके सीखने' की आदत विकसित करें।

हमारा राजस्थान पुस्तक में शिक्षकों हेतु दिए गए बिंदुओं में राजस्थान की कला व संस्कृति, इतिहास, भौगोलिक स्वरूप, सामाजिक जीवन व समृद्धि राजनीतिक विरासत को रोचक, सरल और व्यावहारिक रूप में उजागर करने वाली पाठ्य सामग्री समावेशित करने का प्रयास किया है, जो बालक में अपने प्रदेश के प्रति गौरव की भावना जागृत करेगा।

अपने क्षेत्र की कलात्मक एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका पर चर्चा करें। शिक्षक अभिभावक बैठकों, बाल सभाओं के माध्यम से जानकारी का आदान–प्रदान अभिभावकों के साथ करेंगे। विद्यार्थियों में सामाजिक समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने हेतु प्रेरित करें।

विद्यार्थी को पारस्परिक विचार–विमर्श, पाठ्य सहगामी क्रियाओं, शैक्षिक गतिविधियों इत्यादि के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा उनकी मानसिक व शारीरिक क्षमताओं के विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करें। समय–समय पर राज्य में शासन में समाज में आए परिवर्तित नियमों, नीतियों नवाचारों, नवीन पद्धतियों आदि की नवीनतम जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत कराते रहें।

'हमारा राजस्थान' पुस्तक में दिए गए आंकड़ों को समय–समय पर प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के साथ अद्यतन करते हुए पढ़ाएं। राज्य सरकार के संवेदी सूचना तंत्र, ई ज्ञान पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, विद्यालय प्रसारण आदि का उपयोग करने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करें।

अनुक्रमणिका

अध्याय 1
18वीं सदी का राजस्थान

मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण, राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ई. में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 ई. में पेशवा बाजीराव ने, मराठा ध्वज 'अटक से कटक' तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया, अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ई. में मराठों ने कोटा व बूँदी पर आक्रमण किए, इसके पश्चात 1728 ई. में डूँगरपुर, बांसवाडा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ई. में मराठों ने बूँदी के शासक बुधसिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे, उन्होंने मराठों के विरूद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया।

हुरड़ा सम्मेलन

राजस्थान के राजपूत राजाओं ने, मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरड़ा (भीलवाड़ा) में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगतसिंह (द्वितीय) ने की, इसमें आमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभयसिंह, नागौर के बख्तसिंह, कोटा के महाराव दुर्जनशाल आदि शासकों ने भाग लिया।

इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिल कर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई, इसकी कोई पालना नहीं की गई।

राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति–रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरूद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान–नीति का आकलन करने के लिए, अपनी माता राधाबाई को 1735 ई. में राजस्थान में तीर्थयात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर, पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए व यहाँ से चौथ वसूली की।

राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका (1743 ई.–1750 ई.)

18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा, यही कारण था कि मराठों को, उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया।

जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष

उदयपुर के महाराणा अमरसिंह (द्वितीय) की पुत्री चंद्रकुंवर बाई का विवाह, सवाई जयसिंह के साथ 1708 ई. में इस शर्त पर हुआ कि, मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ई. में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई, तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधोसिंह ने अपने मामा महाराणा जगतसिंह (द्वितीय) के सहयोग से, सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी।

मराठा सरदार मल्हार राव होल्कर द्वारा माधोसिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधोसिंह के मध्य ''राजमहल'' और ''बगरू'' के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण, ईश्वरसिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधोसिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया।

जोधपुर–उत्तराधिकार संघर्ष

जयपुर की भाँति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी रामसिंह और बख्तसिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारम्भ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा, सिंधिया व होल्कर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः रामसिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की माँगें दिन–प्रति दिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे।

मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष

1761 ई. में महाराणा राजसिंह द्वितीय की मृत्यु होने से अरिसिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गये थे, एक अरिसिंह व दूसरा रतनसिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये। परिणामस्वरूप गृहयुद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक प्रगति के मार्ग अवरूद्ध हो गये।

राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा।

अंग्रेज व संधियां

मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में, राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817–1818 ई. में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू की।

राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितम्बर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। 1818 ई. तक सिरोही राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण, सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी एवं 1823 ई. में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान, अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया।

संधियों के परिणाम

1817–18 ई. की संधियों के परिणामस्वरूप अंग्रेजों को दिये जाने वाले खिराज से, देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को, शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी, शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला, इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुँची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 ई. के संग्राम में परिवर्तित हो गई।

शब्दावली

अहदनामा – इकरारनामा, समझौता प्रपत्र।

चौथ – मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर।

खिराज – कृषि भूमि पर लगने वाला कर।

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. निम्न में से हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी ?

   (अ) महाराणा जगतसिंह द्वितीय (ब) सवाई जयसिंह

   (स) अभयसिंह (द) बख्तसिंह ( )

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

1. मराठा शक्ति को सर्वप्रथम .... ने संगठित किया।
2. राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितम्बर, 1803 को .... ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली।

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी ?
2. राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम कब व कहाँ प्रवेश किया ?

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष पर टिप्पणी लिखो ?
2. हुरड़ा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया ?

अध्याय 2

1857 का स्वतन्त्रता संग्राम एवं राजस्थान

भारत में आजादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ई. से शुरू होता है। 1857 ई. का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है। 1818 ई. तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधिया कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि, राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कम्पनी सरकार ही करेगी। परन्तु अंग्रेज कम्पनी ने राज्यों के आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कम्पनी के विरूद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया।

राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण

1. कम्पनी का राज्यों के आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप

संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे जैसे 1839 ई.में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरूद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार–बार हस्तक्षेप आदि। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर, उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया।

2. राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष

निःसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कम्पनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ई. में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो हिस्सों में बाँट दिया। 1826 ई. में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल ऐजेन्ट के अधीन काउन्सिल की नियुक्ति, 1844 ई. में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मणसिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियन्त्रण की स्थापना, आदि हस्तक्षेप से कम्पनी सरकार के विरूद्ध राजाओं ने अंसतोष की भावना बलवती होती गई।

3. सामान्य जनता की भावना

राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरूद्ध चरम पर थी, अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगजी, जवाहरजी एवं लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना, आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना।

4. राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप

अंग्रेज कम्पनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा, आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 ई. में मेरवाड़ा

बटालियन की स्थापना,1834 ई. में शेखावटी ब्रिगेड़ की स्थापना, 1835 ई. में जोधपुर लीजियन का गठन, 1841 ई. में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कम्पनी द्वारा इन सभी बटालियन के रख–रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया।

5. सामन्तों की मनोदशा

1818 ई. की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामन्तों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, अतः संधि के पश्चात सामन्तों पर उनकी निर्भरता प्रायः समाप्त हो गई। सामन्त अपनी दुखदः स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आउवा, कोठारिया और सलूम्बर ठिकाने इसके उदाहरण हैं।

तात्कालिक कारण

भारत में 1857 ई. की क्रांति का तात्कालिक कारण, एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुँह से खोलना पड़ता था।

क्रांति का प्रारम्भ

1857 ई. की क्रांति की शुरूआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर शावर्स, मॉक मैसन और कर्नल ईडन पोलिटिकल एजेन्ट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालिन ए.जी.जी. (एजेन्ट टू गवर्नर जनरल) जार्ज पैट्रिक लारेन्स के अधीन थे।

चित्र 2.1 : राजस्थान में 1857 की क्रांति

राजस्थान में 1857 ई. की क्रान्ति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी :–

क्र.स.	छावनी	मुख्यालय	रेजीमेन्ट
1.	नसीराबाद	अजमेर	15वीं बंगाल नैटिव इन्फेन्ट्री
2.	नीमच	ग्वालियर	मालवा, मेवाड़ राजपूताना रेजीमेंट
3.	एरिनपुरा	पाली	जोधपुर लीजियन
4.	देवली	टोंक	कोटा कन्टिन्जेन्ट
5.	ब्यावर	अजमेर	मेर रेजीमेन्ट
6.	खैरवाड़ा	उदयपुर	भील रेजीमेन्ट

इन सैनिक छावनियों में पाँच हजार भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था, अतः ए.जी.जी. के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गम्भीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ई. को ए.जी.जी. लॉरेन्स को, मेरठ विद्रोह की सूचना, माउण्ट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शान्ति व्यवस्था बनाए रखें तथा शक्ति से विद्रोहियों का दमन करें।

नसीराबाद में विद्रोह

28 मई 1857 ई. को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने, तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्फोटिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर, सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया।

नीमच में विद्रोह

3 जून 1857 ई. को नीमच–छावनी में, सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडॉनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परन्तु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक, चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुँचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही, शावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। शावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया।

एरिनपुरा में विद्रोह

21 अगस्त 1857 ई. को एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खाँ, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार ''चलो दिल्ली, मारो फिरंगी'' के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आउवा ले गया।

आउवा में विद्रोह

आउवा में क्रान्ति का नेतृत्व ठाकुर कुशालसिंह चम्पावत द्वारा किया गया। आउवा, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गूलर, रूढ़ावास परगनों के सैनिकों ने, 8 सितम्बर 1857 ई. को बिठौड़ा (पाली) में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्तसिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितम्बर 1857 ई. को क्रान्तिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेन्ट मोकमैसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोकमैसन का सिर काटकर आउवा किले के दरवाजे पर लटका दिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ई. में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आउवा की क्रान्ति को आज भी लोग होली आदि के लोक–गीतों के माध्यम से याद करते हैं।

ढोल बाजे–चंग बाजे। भलो बाजे बांकियों।
एजेंट को मारकर। दरवाजे पर टांकियों।

कोटा में विद्रोह

कोटा में क्रांति की शुरूआत, 15 अक्टूबर, 1857 ई. को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियन्त्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने, कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव रामसिंह (द्वितीय) को, क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया।

उपर्युक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे, जहाँ से क्रांति का शंखनाद हो रहा था जैसे बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे।

क्रांति का समापन

जून 1858 ई. तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियन्त्रण स्थापित कर तांत्याटोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया ।

1857 ई. की क्रांति की असफलता के कारण

1857 ई. का स्वाधीनता आन्दोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला परन्तु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली :–

- अधिकांश राजा–महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया।
- क्रांति समय से पूर्व प्रारम्भ हो गई ।
- क्रांति की शुरूआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई।

- कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग–अलग समय पर शुरू हुए।

- कुशल एवं सगंठित नेतृत्व का अभाव था।

- राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इनके पास साधनों का अभाव था।

- मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तांत्या टोपे का सहयोग नहीं किया ।

क्रांति के परिणाम

- राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किये। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारम्भ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधियाँ देना भी शुरू किया।

- सामन्तों ने अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात् अंग्रेजों ने सामन्त वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई।
- अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया, ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामीभक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके।
- अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए, यातायात के साधनों का विकास किया।

1857 ई. की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सकी परन्तु, इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिला कर रख दिया। यह क्रान्ति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ई. में भारत की आजादी में महत्त्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई।

विद्रोह – बगावत।

दमन – बल पूर्वक शान्त करना।

छावनी – सैनिकों का डेरा।

ए.जी.जी. – गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि।

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. राजस्थान में 1857 ई. की क्रांति का प्रारम्भ सर्वप्रथम कहाँ हुआ ?

   (अ) नीमच (ब) एरिनपुरा

   (स) नसीराबाद (द) कोटा ( )

2. ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ई. में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया ?

   (अ) ब्यावर (ब) आउवा

   (स) भरतपुर (द) नीमच ( )

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

1. राजस्थान में 1857 ई. की क्रांति का शुभारम्भ ....को हुआ।
2. खैरवाड़ा छावनी में ....रेजीमेन्ट थी।

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्थान में 1857 ई. के समय कौन–कौनसी सैनिक छावनियाँ स्थित थी ?
2. कोटा में 1857 ई. की क्रांति का नेतृत्व किसने किया ?

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्थान में 1857 ई. की क्रांति के क्या कारण रहे थे ?
2. आउवा के ठाकुर कुशालसिंह का 1857 ई. के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए ?

अध्याय 3
आधुनिक राजस्थान का निर्माण

आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं, वह कई अथक प्रयासों से देशी–रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरान्त अस्तित्व में आई। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ई. में 'वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो' के एक आदेश के उपरान्त प्रारम्भ हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि, जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपये से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाये। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किन्तु प्रजामण्डल आन्दोलन द्वारा जनजागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।

22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा, ब्रिटिश सरकार ने देशी–रियासतों को, एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी, इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को, हमारा देश स्वतन्त्र हो गया। स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक् अस्तित्व रख सकती थी, जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रु. वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। इस मापदण्ड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासतें ही स्वतन्त्र अस्तित्व रख सकती थी, किन्तु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में, विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामण्डल व अन्य संघो द्वारा किया जा रहा था। देशी–रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया।

एकीकरण से पूर्व का राजस्थान

एकीकरण के पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें यथा– जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ थी। तीन ठिकाने– कुशलगढ़, लावा और नीमराणा थे। एक केन्द्र शासित प्रदेश– अजमेर मेरवाड़ा था।

एकीकरण का प्रथम प्रयास, कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा व झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किन्तु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समानान्तर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं एवं संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद् व प्रजामण्डल के प्रयास, सम्पूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे।

एकीकरण के चरण

राजस्थान का एकीकरण, एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों एवं ठिकानों को, एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत् लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति–रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक–प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में, आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। सात प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। एकीकरण के इन सातों चरणों को हम दी गई सारणी के द्वारा सरलता से समझ सकते हैं–

सारणी

चरण	राज्य का नाम	गठन की तारीख	एकीकरण की समेकित प्रकिया	मानचित्र
प्रथम	मत्स्य संघ	17–18 मार्च, 1948	अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी बना। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राजप्रमुख व शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।	मत्स्य संघ 17–18 मार्च, 1948 (पहला चरण) — अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली
द्वितीय	पूर्व राजस्थान/ राजस्थान संघ	25 मार्च, 1948	बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक डूंगरपुर, प्रतापगढ, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा के महाराव भीमसिंह राजप्रमुख व गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बने।	

तृतीय	संयुक्त राजस्थान	18 अप्रेल, 1948	संयुक्त राजस्थान में उदयपुर (मेवाड़) का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भूपालसिंह को राजप्रमुख तथा माणिक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया।	
चतुर्थ	वृहद् राजस्थान	30 मार्च, 1949	संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मानसिंह द्वितीय राजप्रमुख व हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री तथा महाराणा भूपालसिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद् राजस्थान का उद्घाटन किया।	
पंचम	संयुक्त वृहद् राजस्थान	15 मई, 1949	वृहद् राजस्थान में मत्स्य संघ का नीमराणा ठिकाना सहित विलय हुआ।	

षष्ठम	राजस्थान	26 जनवरी, 1950	सिरोही (देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर) का विलय किया गया।	
सप्तम	राजस्थान	01 नवम्बर, 1956	राजस्थान में आबू–देलवाड़ा, अजमेर–मेरवाड़ा व मंदसौर (म.प्र.) के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्यप्रदेश को सौंपा गया।	

राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है।

गतिविधि

राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र में इन जिलों को इंगित कीजिए –

1. जैसलमेर   2. अजमेर   3. जयपुर   4. जोधपुर

शब्दावली

एकीकरण – जोड़ने/एक करने की प्रक्रिया

वृहद् – विशाल, बड़ा

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. संयुक्त वृहद् राजस्थान में कौनसा क्षेत्र शामिल नहीं था –

(अ) जोधपुर (ब) कोटा

(स) किशनगढ़ (द) अजमेर–मेरवाड़ा ( )

2. संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख थे–

(अ) गोकुल लाल असावा (ब) भूपाल सिंह

(स) मानसिंह द्वितीय (द) हीरालाल शास्त्री ( )

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

1. राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया..........................के प्रयासों से आगे बढ़ी।

(सरदार वल्लभ भाई पटेल / लार्ड लिनलिथगो)

2. राजस्थान दिवस..............................को मनाया जाता है। (15 अगस्त / 30 मार्च)

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केन्द्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए ?

2. राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में सम्पन्न हुआ ?

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्थान एकीकरण से पूर्व की किन्हीं चार प्रमुख रियासतों के नाम बताइए ।

2. मत्स्य संघ में कौन–कौनसी रियासतें शामिल थी ? नाम बताइए ।

प्रायोजना कार्य–

राजस्थान के एकीकरण के सात चरणों का चार्ट बनाकर कक्षा–कक्ष में प्रदर्शित कीजिए।

जनसंख्या

प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है, निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना। राज्य के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं कारकों में से एक है, उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या अथवा आबादी। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। लोग अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं, जो राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन होती है। इसलिए हमारे राज्य की जनसंख्या एवं उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा किन–किन क्षेत्रों में कम? किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? और किसमें कम? आइये इस अध्याय में कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं।

राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। भारत में सन् 1872 से जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7 प्रतिशत है।

जनसंख्या वृद्धि दर

किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या, एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है।

राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन् 2011 में 21.31 प्रतिशत पायी गई है। नीचे दिए गए मानचित्र से स्पष्ट है कि बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5 प्रतिशत रही है, जबकि गंगानगर जिले में यह दर सबसे कम 10.0 प्रतिशत रही।

राजस्थान
जनसंख्या वृद्धि दर
(प्रतिशत में)
N
10 श्रीगंगानगर
16.9 हनुमानगढ़
चूरू 20.3
24.3 बीकानेर
11.7 झुंझुनू
सीकर 17
22.8 अलवर
21.4 भरतपुर
31.8 जैसलमेर
19.2 नागौर
26.2 जयपुर
23.5 दौसा
22.7 धौलपुर
27.7 जोधपुर
करौली 20.9
18.6 अजमेर
टोंक 17.3
19.6 सवाई माधोपुर
32.5 बाड़मेर
11.9 पाली
भीलवाड़ा 19.2
बूंदी 15.4
17.7 राजसमंद
चित्तौड़गढ़ 16.1
24.4 कोटा
बारां 19.7
16.1
26.2 जालोर
21.8 सिरोही
23.7 उदयपुर
19.6 झालावाड़
22.8 प्रतापगढ़
डूंगरपुर 25.4
बांसवाड़ा 26.5
मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है।

मानचित्र 4.1 : राजस्थान में जिलेवार जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में (2011 की जनगणना अनुसार)

आओ अभ्यास करें

1. आपके जिले का नाम एवं उसकी जनसंख्या वृद्धि दर बताइए।
2. आपके जिले की जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना राजस्थान की कुल जनसंख्या वृद्धि दर एवं अन्य जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर से सारणी बनाकर कीजिए।

शिक्षक निर्देश :– शिक्षकगण, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता को, दिये गए मानचित्र के अनुसार जिलेवार समझाएं।

जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या घनत्व एक मापक है, जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में सम्बन्ध बताता है, अर्थात् एक स्थान के क्षेत्रफल (सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर) पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है, इसका तात्पर्य यह है कि, राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर (595 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.) जिले में एवं सबसे कम जैसलमेर (17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.) जिले में पाया जाता है।

जनसंख्या का वितरण

राजस्थान
कुल जनसंख्या

मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है।

मानचित्र 4.2 : राजस्थान में जिलेवार कुल जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)

राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी–पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, तो वहीं जैसलमेर में राज्य की 1 प्रतिशत से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61 प्रतिशत भू–भाग पर लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले, जिनमें राज्य के केवल 20 प्रतिशत भूभाग पर राज्य की लगभग 33 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है, जो राज्य में सर्वाधिक है।

अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी–पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जन घनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फ़िर भी यह ध्यान देने की बात है कि, विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियों जैसे–समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक निवास करती है।

मानचित्र 4.3 : : राजस्थान में जिलेवार जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार)

1. आपके जिले का नाम एवं उसका जनसंख्या घनत्व बताइए।
2. आपके जिले की जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व की तुलना राजस्थान की कुल जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व से कीजिए।

लिंगानुपात

प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है, जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर (994 महिलाएं प्रति हजार पुरुष) जिले में एवं सबसे कम धौलपुर (846 महिलाएं प्रति हजार पुरुष) जिले में हैं।

मानचित्र 4.4 : राजस्थान में जिलेवार लिंगानुपात (सन् 2011 की जनगणना के अनुसार)

आओ अभ्यास करें

1. आपके जिले का नाम एवं उसका लिंगानुपात बताइए।
2. आपके जिले के लिंगानुपात की तुलना राजस्थान के कुल लिंगानुपात एवं अन्य जिलों के लिंगानुपात से सारणी बनाकर कीजिए।

साक्षरता

किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह जनगणना में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बिंदु है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.11 प्रतिशत है। 76.6 प्रतिशत के साथ, कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जबकि सबसे कम साक्षरता जालौर में 54.9 प्रतिशत है। राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता 79.19 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं में साक्षरता 52.12 प्रतिशत है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू एवं कोटा में सर्वाधिक तथा क्रमशः प्रतापगढ़ व जालोर में न्यूनतम है। राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए, अनेक योजनाएँ लागू कर इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है।

मानचित्र 4.5 : राजस्थान में जिलेवार साक्षरता दर (2011 की जनगणना के अनुसार)

आओ अभ्यास करें

1. आपके जिले का नाम एवं उसकी साक्षरता दर बताइए।
2. आपके जिले की साक्षरता दर की तुलना राजस्थान की कुल साक्षरता दर एवं अन्य जिलों की साक्षरता दर से सारणी बनाकर कीजिए।

ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या

हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25 प्रतिशत है जो छोटे–बड़े शहरों में निवास करती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है।

अनुसूचित जनजातियाँ

राजस्थान में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर गाँव में, पहाड़ों, पठारों और जंगलों में निवास करती हैं। अधिकांश जनजातियाँ खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूँगरपुर, प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा जिलों में बहुतायत में हैं। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, दौसा तथा जयपुर जिलों में भी जनजातियाँ प्रमुख रूप से निवास करती हैं।

राज्य की प्रमुख जनजातियाँ भील, मीणा, डामोर, साँसी, गरासिया और सहरिया हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है, जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिंडवाडा तहसीलों में पायी जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर एवं पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया निवास करते हैं। साँसी जनजाति भरतपुर में पायी जाती है।

सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। राजस्थान के बाराँ जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है।

वनोपज – वन से प्राप्त उपज

जनगणना – जनसंख्या संबंधी सूचनाएँ एवं आँकड़ें प्राप्त करने की प्रक्रिया

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है –

   (क) कोटा (ख) धौलपुर

   (ग) जोधपुर (घ) अलवर ( )

2. राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है–

   (क) पूर्वी मैदान (ख) मरुस्थल प्रदेश

   (ग) हाड़ौती का पठार (घ) अरावली पर्वतमाला ( )

II. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम लिखिए।
2. राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है?

III. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्थान में जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण को समझाइए।
2. राजस्थान की जनजातियों पर टिप्पणी लिखिए।

उद्योग

हम दिन–प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जैसे– टूथब्रश व टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएँ, कम्प्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि, इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है? ये सब वस्तुएँ किसी न किसी औद्योगिक इकाई में ही बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ, किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से, कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है, जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे–कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूँ से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसायों का अध्ययन करेंगे।

हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घ काल से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे हैं, किंतु आजादी के बाद, बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम् योगदान है।

यह भी जानें –

आर्थिक क्रियाएँ–धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप, जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण–पोषण और जीवनयापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे– कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएँ आदि।

आओ अभ्यास करें

आप अपने गाँव/शहर या मौहल्ले के विभिन्न उद्योगों की सूची तैयार कीजिए। यह भी पता लगाइए कि इन विभिन्न व्यवसायों/उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या है ? यह कहाँ से आता है ?

राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास

राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढ़ांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहद् स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख

समस्याएँ हैं।

कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधाएँ प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।

चित्र 5.1 : मिट्टी से बर्तन निर्माण

चित्र 5.2 : बाँस से वस्तुओं का निर्माण

हथकरघा उद्योग

इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूँजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी–छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इन कार्य को करते हैं।

चित्र 5.3 : कुटीर उद्योग

चित्र 5.4 : हाथों से वस्त्र बनाती महिला

सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कम्बल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी, बीकानेर के कम्बल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी

वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अन्तर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थेले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूँजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएँ संचालित कर रही हैं।

कृषि आधारित लघु उद्योग

राजस्थान में, कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं। जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खाँडसारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है।

राज्य में सरसों की खल, तेल से सम्बन्धित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेलघाणी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूँगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, बाराँ व पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से सम्बन्धित उद्योग संचालित हैं।

राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको (RIICO) द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं।

खनिज आधारित लघु उद्योग

वे उद्योग, जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज, रॉक फास्फेट है। देश का 90 प्रतिशत फॉस्फेट यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में इससे जुड़े उद्योग हैं। झुन्झुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लौह–अयस्क, मैंग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी एवं पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाये जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और

चित्र 5.5 : संगमरमर उद्योग

पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चाँदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है। हाथी दाँत से आभूषण निर्माण किया जाता है एवं मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और ताँबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है।

राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश, एवं घिसाई से सम्बन्धित, कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बाँसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन तथा जालोर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है।

इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स से संबंधित उद्योग, कम्प्यूटर द्वारा प्रिन्टिंग, निमंत्रण पत्र व ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने सम्बन्धित उद्योग, छोटी मशीनें और उनसे सम्बंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील, आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु उद्योग इकाईयों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

वृहद् उद्योग

वर्तमान में, राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल, परिवहन, संचार, बैंकिग व्यवस्था आदि। वृहद् उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

सूती वस्त्र उद्योग

चित्र 5.6 : आधुनिक वस्त्र उद्योग

यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड, 1889 में स्थापित हुई। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की 'वस्त्र नगरी' एवं राजस्थान का 'मेनचेस्टर' कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई–छपाई तथा बँधेज कार्य हेतु जयपुर (सांगानेर, बगरू) जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) की सहकारी वस्त्र मिलों को, मिलाकर 'राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ' की स्थापना की गई है, जिसे 'स्पिनफेड' कहा जाता है।

सीमेंट उद्योग

चित्र 5.7 : सीमेंट उद्योग

राजस्थान सीमेन्ट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेन्ट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला, सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स (चित्तौड़गढ़), उदयपुर सीमेंट वर्क्स (उदयपुर), मंगलम सीमेंट (कोटा), जे.के. व्हाइट सीमेंट (नागौर), श्री सीमेंट (ब्यावर), जे.के. सीमेंट वर्क्स (निम्बाहेड़ा) आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखानें हैं।

शक्कर उद्योग

यह एक कृषि आधारित उद्योग है, जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपालसागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ई. में 'द मेवाड़ शुगर मिल्स', निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। राज्य में गंगानगर में एवं बूंदी जिले के केशोरायपाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई।

इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में काँच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग हैं।

यह भी जानें –

सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zone) का निर्माण किया जाता है, जिन्हें 'सेज' (SEZ) भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा, जयपुर में स्थापित किया गया है।

1. आपके दैनिक जीवन में उपयोगी ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए, जिनका निर्माण किसी उद्योग में हुआ है।
2. अपने शिक्षक–शिक्षिकाओं की सहायता से, आपके जिले के प्रमुख उद्योगों की सूची बनाकर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र कीजिए।

शब्दावली

उद्यम – व्यवसाय।

औद्योगिक – उद्योग संबंधी।

बंधेज – धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना।

मौसमी उद्योग – किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग।

रीको – राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम।

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. निम्नलिखित में से कौनसा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है–

   (क) सूती वस्त्र उद्योग (ख) सीमेंट उद्योग

   (ग) चमड़ा उद्योग (घ) शक्कर उद्योग ( )

2. चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है–

   (क) आभूषण उद्योग (ख) ग्रेनाइट उद्योग

   (ग) शक्कर उद्योग (घ) सीमेंट उद्योग ( )

II. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है?
2. राजस्थान के किन्हीं चार कुटीर उद्योगों के उदाहरण दीजिए।

III. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है ? और क्यों ?
2. राजस्थान के वृहद् उद्योगों का वर्णन कीजिए।

अध्याय 6

परिवहन एवं पर्यटन

किसी भी क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत् परिवहन अत्यावश्यक तत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। परिवहन का महत्त्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की 'रक्त वाहिनियाँ' कहा जाता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुँचाना तथा कल कारखानों तक कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में परिवहन का महत्त्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की 'जीवन रेखा' कहा जा सकता है।

राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल व हवाई यातायात हैं। साथ ही, पाइप परिवहन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाला पानी इसका उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएँ अत्यंत कम हैं, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती है।

सड़क परिवहन

राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन ही सबसे महत्त्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा, विभिन्न गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, राज्य सरकार ने कई राज्यीय राजमार्गों का भी विकास किया है जो सड़क परिवहन के आधार स्तम्भ है।

> **यह भी जानें–**
>
> भारत के चार महानगरों दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को **स्वर्णिम चतुर्भुज योजना** कहा जाता है।

चित्र 6.1 : राष्ट्रीय राजमार्ग का दृश्य

आओ अभ्यास करें

1. राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन–कौन से हैं? अपने शिक्षक एवं परिवहन मानचित्र की सहायता से पता लगाकर मानचित्र में दर्शाइए।
2. आपके जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्यीय राजमार्गो की सूची बनाकर उनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए।

रेल परिवहन

स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा एवं सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में पहली रेल सन् 1853 में महाराष्ट्र के मुम्बई एवं थाणे के बीच चलाई गई थी। उसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे–धीरे विकास होता गया। राजस्थान में पहली रेल सन् 1874 में बांदीकुई (दौसा) से आगरा फोर्ट (उत्तर प्रदेश) के बीच चलाई गई थी, तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेलमार्ग की कुल लम्बाई लगभग 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में दो रेलवे जोन हैं– उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम–मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल पाँच रेलवे मंडल जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा है। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर–पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरूआत जून 2015 से की गई है। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं।

चित्र 6.2 : जयपुर में मेट्रो रेल

वायु परिवहन

यह सबसे मँहगा तथा तीव्र परिवहन का साधन है, जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर के साँगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम् अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर के

डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाड़ा में हैं। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

चित्र 6.3 : जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दृश्य

पर्यटन

एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना–जाना पड़ता है, जैसे–मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि।

पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थाई रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है।

पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। राजस्थान का गौरवमयी इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झीलें, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएँ आदि पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं।

राजस्थान
प्रमुख पर्यटन स्थल

उत्तर

पंजाब
पाकिस्तान
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
पाकिस्तान
गुजरात
मध्य प्रदेश

श्रीगंगानगर
कालीबंगा
गजनेर
कोलायत
देशनोक
फतेहपुर
मांडवा
समोद
तालछापर
अलवर
सिलीसेढ़
भरतपुर
सीकर
जैसलमेर
राम देवरा
खीचन
नागौर
आमेर
घना
सम
पोकरण
खिंवसर
जयपुर
आभानेरी
धौलपुर
ओसियां
पुष्कर
जोधपुर
अजमेर
टोंक
कैलादेवी
रणथम्भौर
किराडू
रोहट
भीलवाडा
बूंदी
रणकपुर
भीनमाल
नाथद्वारा
कोटा
चित्तौड़गढ़
माउन्ट आबू
उदयपुर
झालावाड़
जयसमंद
बेणेश्वर
अर्थुना

मानचित्र पैमाने पर आधारित नही है।

मानचित्र 6.1 : राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल

पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं, साथ ही पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को तीन भागों ऐतिहासिक, भौगोलिक व प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल में बाँटा जा सकता है।

ऐतिहासिक पर्यटन स्थल

राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्त्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराठ और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध हैं। जयपुर में हवामहल, आमेर का किला, जंतर–मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजयस्तम्भ, राजसमंद में कुम्भलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, सवाईमाधोपुर में रणथम्भौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं।

(अ) विजय स्तंभ

(ब) हवामहल

(स) सोनारगढ़

चित्र 6.4 : ऐतिहासिक पर्यटन स्थल

आओ अभ्यास करें

आपके जिले में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सूची बनाकर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र कीजिए।

भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल

प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केन्द्र हैं। उदयपुर में जयसमंद, फतेहसागर, पिछोला, उदयसागर आदि झीलें एवं शिल्पग्राम, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउण्ट आबू एवं नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मेनाल जल प्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले (धोरे), सवाईमाधोपुर का रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चम्बल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चम्बल अभयारण्य प्रमुख है।

चित्र 6.5 : रणथम्भौर अभयारण्य में बैठे बाघ

चित्र 6.6 : केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान

आपके जिले में स्थित भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की सूची बनाकर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए।

धार्मिक पर्यटन स्थल

राजस्थान के रीति–रिवाजों व लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्त्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केन्द्र माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्माजी का मंदिर (पुष्कर), ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह (अजमेर), कपिल सरोवर (कोलायत बीकानेर), रामदेवरा (जैसलमेर), श्रीनाथजी (नाथद्वारा, राजसमन्द), एकलिंगजी (उदयपुर), गोविन्ददेवजी (जयपुर), करणीमाता (देशनोक, बीकानेर), श्रीमहावीरजी (सवाईमाधोपुर), त्रिपुरासुंदरी (बाँसवाड़ा) आदि मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। ऋषभदेव (उदयपुर), रणकपुर (पाली) और देलवाड़ा (सिरोही) के जैन मन्दिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

रामदेवजी मंदिर

अजमेर दरगाह

रणकपुर का जैन मंदिर

चित्र 6.7 : धार्मिक पर्यटन स्थल

आओ अभ्यास करें

आपके जिले में स्थित धार्मिक पर्यटन स्थलों की सूची बनाकर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र कीजिए।

पर्यटन विकास एवं सुविधाएँ

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 'राजस्थान पर्यटन विकास निगम' (R.T.D.C.) की स्थापना की गयी है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। साथ ही 'पधारो म्हारे देश', 'राजस्थान पधारिये', 'रंगीलो राजस्थान', 'सुरंगा राजस्थान', 'अतुल्य राजस्थान', 'जाने क्या दिख जाये' आदि नारे दिये गये हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग–अलग पर्यटन मंडलों (सर्किट) में बाँट दिया गया है, जिनमें से जयपुर–आमेर सर्किट, मरु सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, जहाँ देशी व विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं।

''पैलेस ऑन व्हील्स'' जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती हैं। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न यह शाही रेलगाड़ी भी देशी–विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौडगढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर आगे मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में चली जाती है।

चित्र 6.8 : पैलेस ऑन व्हील्स

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इन्टरनेट पर उपलब्ध है, ताकि पर्यटक इन सभी की जानकारी जुटा सकें। प्रमुख दर्शनीय स्थानों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोककला, लोकनृत्य, लोकगीत, पारम्परिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण व पेईंग गेस्ट योजना संचालित है।

प्रमुख महोत्सव

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है जैसे, बीकानेर में ऊँट महोत्सव, जैसलमेर में मरू महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि। इस प्रकार के महोत्सवों में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी–विदेशी पर्यटक आते हैं।

आओ अभ्यास करें

1. राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए।
2. आपके क्षेत्र में आयोजित होने वाले महोत्सवों की अपने शिक्षक एवं पत्र–पत्रिकाओं की सहायता से जानकारी एकत्र कीजिए।

शब्दावली

राष्ट्रीय राजमार्ग – केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें

राज्यीय राजमार्ग – राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें

मैट्रो रेल – महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल

अभयारण्य – वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है?

   (क) अजमेर (ख) जयपुर
   (ग) जैसलमेर (घ) कोटा ( )

2. जयसंमद झील कौनसे जिले में स्थित है ?

   (क) उदयपुर (ख) चित्तौड़गढ़
   (ग) बाड़मेर (घ) जालोर ( )

II. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली थी?
2. सांगानेर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है?

III. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्थान में प्रमुख भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन–कौन से हैं?
2. राजस्थान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखिए।

विकास योजनाएं

सरकार द्वारा जनता के हित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचनाएँ, महिला, बालिका व दिव्यांगजन आदि के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के साथ मिलकर भी कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा ही राज्य का चहुँमुखी विकास संभव है।

सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, महिला सशक्तिकरण संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं प्रमुख हैं जिनका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे।

कृषि संबंधी योजनाएँ

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	मुख्य उद्देश्य
1.	कृषि कल्याण कोष	किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	गेहूँ और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना
4.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना
5.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना
6.	राष्ट्रीय आयुष मिशन	औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना
7.	किसान कलेवा योजना	किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना
8.	राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना	कृषि, कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

आर्थिक क्षेत्र की योजनाएँ

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	मुख्य उद्देश्य
1.	भामाशाह रोजगार सृजन योजना	युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
2.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण
3.	मुख्यमंत्री युवा संबल योजना	शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना
4.	भामाशाह योजना	वित्तीय एवं गैर–वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना

स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	मुख्य उद्देश्य
1	राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना	मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना
2	आशा सहयोगिनी	गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना
3	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत,सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना
4	जननी एक्सप्रेस	गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर ले जाना
5	आयुष्मान भारत	सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना
6	मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना	सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराना एवं वहां बीमारियों की निःशुल्क जांच प्रदान करना

महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएँ

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	मुख्य उद्देश्य
1.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना
2.	स्वावलंबन योजना	गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार
3.	साझा अभियान	बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना
4.	गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना	बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना
5.	मुख्यमंत्री राजश्री योजना	लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना
6.	आई एम शक्ति फंड	'महिला स्वयं सहायता समूह' को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना

ग्रामीण विकास की योजनाएँ

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	मुख्य उद्देश्य
1.	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना	चयनित गाँवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ–साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना
2.	स्वच्छ भारत अभियान	स्वच्छता हेतु देश को 'खुला शौच मुक्त' बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण आदि
3.	अटल भूजल योजना	सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना
4.	स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम	विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात, डांग, मगरा, सीमांत क्षेत्रों का विकास करना
5.	मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)	ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना
6.	प्रधानमंत्री आवास योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना
7.	ग्रामीण गौरव पथ	ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना
8.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना

आओ अभ्यास करें

स्वच्छता के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, सूची बनाइये।

इन प्रमुख योजनाओं के अलावा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको), राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको), औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, गार्गी पुरस्कार, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, लेपटॉप वितरण योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना भी संचालित हो रही है।

समाज के कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुप्रति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचे; इसके लिए "राजस्थान जन आधार योजना 2019" प्रारंभ की गई है। जिसके तहत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्राप्त होगा। इस कार्ड को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के लाभ लेने तथा पहचान एवं पते के प्रमाण के लिए भी काम में लिया जा सकेगा।

सतत विकास गोल 2030

संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। इस कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य, गरीबी को सभी रूप एवं सभी जगहों से समाप्त करना था। इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया, जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया।

1. गरीबी का अंत
2. भुखमरी समाप्त करना
3. अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
5. लैंगिक समानता
6. शुद्ध जल एवं स्वच्छता

7. किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा
8. सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास
9. उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढ़ाँचों का विकास
10. असमानता में कमी
11. संधारणीय शहर एवं समुदाय
12. सतत उपभोग एवं उत्पादन
13. जलवायु परिवर्तन
14. पानी में जीवन
15. भूमि पर जीवन
16. शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान
17. लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी

इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे गांव भी विशेष प्रयास कर रहे हैं।

शब्दावली

सतत – निरन्तर
सृजन – निर्माण
संबल – सहारा

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित हैं ?

   (अ) 15 (ब) 16

   (स) 17 (द) 18 ( )

2. आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से हैं ?

   (अ) शिक्षा (ब) महिला

   (स) स्वास्थ्य (द) कृषि ( )

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

1. .... कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन का उद्देश्य रखा गया है।

2. सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलैस इलाज हेतु .... योजना प्रारम्भ की गई है।

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य बताइये।

2. राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की दो योजनाओं के नाम लिखिए।

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का विवरण दीजिए।

2. सतत विकास गोल 2030 को समझाइये।

अध्याय 8
जनजागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास

W9E1R5

हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोककल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीति व आर्थिक समानता हेतु कई जनकल्याणकारी कानून बनाए हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे–

भूदान आन्दोलन एवं भूमि सुधार

प्राचीनकाल से चली आ रही जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आयी। आजादी के बाद सरकार ने कानून बना कर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था लेकिन कानूनों की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रेल 1951 को तेलगांना के एक छोटे से गाँव तिरुचपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर 'भूदान आन्दोलन' की शुरुआत की।

इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का छठा हिस्सा दान में देने की अपील की। पूरे देश में इस आन्दोलन को जनता का समर्थन मिला। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग एक तिहाई भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग व आदिवासी भूमिहीनों में बाँटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारम्भ किया गया। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 भी पारित किया।

आजादी के समय राजस्थान की 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधे से ज्यादा भाग रेगिस्तानी व सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक व आर्थिक शक्तियों के उदय व विकास के कारण राज्य की भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हुई है, फिर भी कृषि भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फँसी जनता को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मण्डल की स्थापना की। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने व पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीकों आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयासरत है।

आओ अभ्यास करें

भूमि सुधार कानून कौन–कौनसे बने ? उनकी सूची बनाइए।

अस्पृश्यता उन्मूलन

आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गाँधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविन्द गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए।

समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत/अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया।

राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनिमय 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया। इसी तहत् राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया, जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है। वर्तमान में ''सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग'' मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक–आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों आदि के कल्याण के कार्य करता है।

महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण

पण्डित जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि–"आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं।"

राजस्थान के संदर्भ में पं. नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती है। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, इसीलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।

स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.10 प्रतिशत है, जो सन् 1951 में मात्र 2.51 प्रतिशत थी।

महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के प्रयास सरकार द्वारा निरन्तर किये जा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास

राज्य महिला आयोग

राज्य सरकार ने 15 मई, 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जाँच,राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना तथा महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जन संवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष व तीन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है ।

आओ अभ्यास करें

1. राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए।
2. राजस्थान राज्य महिला आयोग के सदस्यों के नाम लिखिए।

महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम

महिलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है। अपनी छोटी–छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती हैं। इन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध कराती है।

महिला घरेलू हिंसा (निरोधक) अधिनियम 2005

महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उपनिदेशकों,बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है ।

राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना–सबला

इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की शुरूआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिये शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान है, जैसे–

- हिन्दू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 (संशोधन 2005)
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- बाल विवाह निषेध अधिनियम,1925 (संशोधन 1986, 2006)

गतिविधि

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की सूची बनाइए।

मतदान प्रक्रिया

विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे। सभी विद्यार्थी मतपत्र पर निशान लगा कर अपनी पसंद के कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे। तभी गीता शिक्षक से पूछती है कि गुरूजी क्या विधान सभा व लोक सभा के लिए भी प्रतिनिधियों का चुनाव इसी तरह किया जाता है ? गुरूजी ने बताया कि अब अधिकांश चुनावों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) का प्रयोग किया जाता है। ई.वी.एम. के प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबा कर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। एक ई.वी.एम. द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। इनमें से अंतिम बटन NOTA विकल्प का होता है। इस प्रकिया में मतदान केन्द्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का

नोटा (NOTA) –

चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता है तो वह अंतिम नोटा (None of the above) बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित कर सकता है।

प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची,ई.वी.एम.को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। उसके बाद मतदाता के बांयें हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता ई.वी.एम. मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान केबिन में प्रवेश करता है। वहाँ वह ई.वी.एम. का बटन दबा कर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ई.वी.एम. के साथ वी.वी.पी.ए.टी. का भी उपयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ई.वी.एम.के मतों की गणना करवाता है तथा परिणाम की घोषणा करता है।

वी.वी.पी.ए.टी. का पूरा नाम वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। यह एक प्रिंटर युक्ति है। इसको ई.वी.एम. के बैलट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम व चुनाव चिह्न अंकित होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है, उसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। बीप की आवाज सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता यह जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे ही वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता व विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है।

इस प्रकार गीता सहित अन्य विद्यार्थियों ने मतदान प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।

गतिविधि

शिक्षक प्रोजेक्टर के माध्यम से ई.वी.एम. तथा वीवीपीएटी पर फिल्म दिखावें।

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)

मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं ।

इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्धेश्य हैं–

1. शुचित मतदान – निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान

2. सूचित मतदान – जागरूकता के साथ मतदान

सूचना का अधिकार

कभी कभी समाज के विभिन्न वर्गों व सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजसमन्द जिले की भीम तहसील के देव डूंगरी गाँव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे–हाजरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियाँ मांगने के लिए संघर्ष किया। इसी मांग के आधार पर सन् 2000 में राजस्थान 'सूचना का अधिकार कानून' बनाने वाला पहला राज्य बना। धीरे–धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आन्दोलन का रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' बनाया। यह कानून सरकारी स्तर पर जन–भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति, सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम

शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम सन् 2009 में बनाया गया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 बनाया, जो 1 अप्रेल 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) का प्रावधान किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इस अधिनियम के तहत, बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती है। जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है ।

बाल अधिकार

20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा "बाल अधिकार समझौते" को पारित किया गया था। बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है, जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बच्चों के ये अधिकार चार मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। इनमें जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार शामिल है।

आओ अभ्यास करें

आपके विचार से कौन–कौन से बाल अधिकार होने चाहिए ? सूची बनाइए ।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति, बाल संरक्षण के मुद्दों की सामुदायिक स्तर पर क्रियान्विति व जागरूकता हेतु कार्य करती हैं।

चाईल्ड हेल्पलाइन

राज्य में कठिनाईयों में घिरे, पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुँच सेवा 1098 (टोल फ्री टेलीफोन सेवा) संचालित की जा रही है।

राजस्थान में बाल संरक्षण की चुनौतियां जैसे बाल–विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात, बाल श्रम, कुपोषण आदि के उन्मूलन एवं सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।

यह भी जानें–

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल

राज्य सरकार ने सितम्बर 2019 को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का अभिनव प्रयास प्रारम्भ किया है। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाईन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिटीजन कॉल सेन्टर (181) से शिकायत को दर्ज कराने व उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान दी गई है।

साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध

यह एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने एवं सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े–बड़े कम्प्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं।

साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार

बदलती तकनीकी के कारण हमारी सुरक्षा हमारे लिए काफी चुनौती भरा काम हो गया है। साइबर धमकियों/अपराधों से बचने के लिए हमें हमारी जानकारी को सुरक्षित रखना काफी जरूरी है।

- **रेनसमवेएर (Ransomware)**– यह एक तरह का वाइरस होता है, जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कम्प्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुँचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कम्प्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है और तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है।

- **मालवेएर (Malware)**– यह कम्प्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुँचाता है, जैसे की कम्प्युटर वाइरस, वोर्म, ट्रोजन आदि।

- **साइबर धोखाधड़ी (Online Fraud/Cheating)**– इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है, ताकि उनसे उनके निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग व स्पूफिंग इसके उदाहरण हैं–

फिशिंग (Phishing)–यह एक तरह का ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ई–मेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्धेश्य जरूरी डाटा को चुराना होता है जैसे– क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी।

स्पूफिंग (Spoofing)– इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है।

साइबर सुरक्षा के उपाय

साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या ए.टी.एम. पिन को गोपनीय रखें एवं समय–समय पर बदलते रहें। अपने कम्प्यूटर व लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी को भी फोन या ई–मेल पर व्यक्तिगत जानकारी न देवें। ए.टी.एम. व बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को देवें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

वर्तमान समय में इस राज्य के विकास के लिए ऐसे कई प्रकार के राजकीय प्रयासों की पहल की जा रही है, जिसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को यह अहसास दिलाने के लिए कि उसका मत देश के लिए महत्त्वपूर्ण है, स्वीप व मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। समस्त वर्गों के कार्य के प्रति जवाबदेही हेतु सूचना का अधिकार तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून बेहतरी के लिए बनाया गया है। वहीं नवीन तकनीकी को अपनाने व अपने कार्य को सुगम बनाने के साथ छिपे चले आए साइबर अपराधों से बचने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है, कि जन जागरूकता एंव सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राजकीय प्रयास ही उस राज्य को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाते हैं।

शब्दावली

नोटा (NOTA) – इनमें से कोई नहीं। (none of the above)

वीवीपीएटी – वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल।

स्वीप – सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (SVEEP -Systematic Voters Education and Electoral Participation program)

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. सन् 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर है–

   (अ) 65.46 प्रतिशत (ब) 52.10 प्रतिशत

   (स) 55.12 प्रतिशत (द) 55.10 प्रतिशत ( )

2. भूदान आन्दोलन के जनक हैं –
   (अ) महात्मा गांधी (ब) हीरालाल शास्त्री
   (स) विनोबा भावे (द) जवाहरलाल नेहरू ( )

II. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए –

स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
वीवीपीएटी	संयुक्त राष्ट्र संघ
ईवीएम	इनमें से कोई नहीं
नोटा	वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल।
मजदूर किसान शक्ति संगठन	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
बाल अधिकार समझौता	सूचना का अधिकार

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. स्वीप कार्यक्रम क्या है ?
2. बाल अधिकारों के बारे में बताइये ।
3. राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया?

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. भूदान आन्दोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
2. सामाजिक सुधार में योगदान देने वाले समाज सुधारकों के नाम बताइए।
3. साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए।

अध्याय 9 ग्रामीण व शहरी प्रशासन

विद्यालय से छुट्‌टी होने पर सोनू जब घर पहुँची तो देखा—घर पर पास के विद्यालय के शिक्षक उनके माता—पिता से बातचीत कर रहे थे। तब शिक्षक महोदय ने सोनू से कहा ''अच्छा हुआ तुम आ गई, इस रविवार को विद्यालय में अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा कर एक फार्म भर देना।''सोनू ने पूछा कि— ''ऐसा क्यों करना है?'' उन्होंने बताया कि वह अगले माह 18 वर्ष की होने जा रही है, आने वाले समय में उसे भी मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना जरूरी है, साथ ही मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही उसे मत देने का अधिकार मिलेगा। सोनू ने पूछा कि यह काम जब निर्वाचन विभाग का होता है, तो आप क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा ही विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को यह कार्य सौंपा जाता हैं, जिनका कार्य घर—घर सर्वे कर 18 वर्ष की आयु वाले युवक—युवतियों के नाम को जोड़ने के साथ, नए एवं वंचित मतदाताओं को जोड़ना और पलायन कर चुके अथवा मृत मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटाने का काम करना होता है। सोनू ने पूछा कि फिर आप विद्यालय में नही पढ़ाते हैं क्या? तब शिक्षक बोले ''नहीं बेटा यह पढ़ाने के अतिरिक्त कार्य है, जिसे जिला प्रशासन द्वारा सौंपा गया है।''

सोनू के पिता बोले कि, जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके निर्णयों को सभी मानते हैं, उनके सामने हम अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो वे उसका समाधान करते हैं, घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति भी तो परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती है।

तब शिक्षक महोदय बोले कि ''सोनू आपके पिता ने परिवार के उदाहरण से सरकार के कामकाज को बताया, यह अच्छा प्रयास था। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्यों के कार्य और दायित्व से पूरा होता है या चलता है, ठीक उसी प्रकार हमारी स्थानीय स्तर की सरकार भी त्रि—स्तरीय व्यवस्था से चलती है। ग्रामीण प्रशासन में यह क्रम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में छोटे से बड़े के क्रम में है। चलो, आज मैं तुम्हें ग्रामीण प्रशासन को समझाने का प्रयास करता हूँ।

ग्रामीण प्रशासन

ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतन्त्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक अन्तर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया, इसकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रि—स्तरीय ढाँचे के 29

कार्यों का उल्लेख किया गया है।

सोनू ने शिक्षक से पूछा कि– ''ये त्रि–स्तरीय ढाँचा क्या होता है''?

तब शिक्षक महोदय ने इसे चार्ट के माध्यम से बताया कि, ग्रामीण स्तर पर यह त्रि–स्तरीय व्यवस्था है, जिसके तहत हमारा शासन काम करता है।

पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढाँचे का स्वरुप

जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्य

जिला परिषद्	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
• स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अन्तिम योजना तैयार करवाना। पंचायतों की ग्राम सभाएं व बैठकों का पर्यवेक्षण करना। • पंचायत समितियों व पंचायतों की निधियों का अन्तरण करना।	• पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना । • नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचो को प्रशिक्षण व मार्गदशन देना। • सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना । • साधारण सभा की बैठक आयोजित करना।	• स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था। • मार्ग में प्रकाश व्यवस्था। • मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करना। • सार्वजनिक वितरण प्रणाली। • ग्रामीण सड़कों का रखरखाव।

• ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना • ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना। • प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।	• पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर रखना। • कार्य स्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना • पशु मेलों का आयोजन करना।	• जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण। • आपदाओं एवं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय रखना। • चारागाह एवं वनों का विकास। • मानव एवं पशु स्वास्थ्य, पोषण व परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता। • स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत, लोकतन्त्र की प्रथम इकाई है, जो वार्ड पंचो, उपसरपंच एवं सरपंच से मिलकर गठित होती है। इन पंचायतों का चुनाव 'राज्य चुनाव आयोग' द्वारा सम्पन्न किया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागज़ातों के रिकॉर्ड को रखना है एवं बैठक की कार्यवाही को लिखना है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम दो बैठकें आवश्यक होती है।

आपके ग्राम पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारी के नाम बताए ?

1. सरपंच ....
2. उपसरपंच ....
3. वार्ड पंच ....

....

....

पंचायत समिति

पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद् को जोड़ने वाली महत्त्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों के जिलों को, विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खण्डों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खण्डों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य ही, प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली, ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। प्रधान तथा उपप्रधान को पंचायत समिति सम्बन्धित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खण्ड विकास अधिकारी (ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर) नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।

आओ अभ्यास करें

आपके जिले में कितनी पंचायत समितियाँ है? नाम लिखिए।

जिला परिषद

पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद है। यह जिला स्तर पर विकास की योजनाएँ बनाती हैं। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से, एक सदस्य का निर्वाचन (चुनाव) उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त, जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा एवं राज्य सभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उपजिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है।

आय के स्रोत

1. **ग्राम पंचायत :–** विभिन्न प्रकार के कर जैसे– भवन कर, वाहन कर, क्रय–विक्रय पर कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्र दण्ड राशि आदि।

2. **पंचायत समिति :–** स्थानीय करों और शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी, व्यवसायों और उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय आदि।

3. **जिला परिषद :–** केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूलियाँ, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिये गए अनुदान आदि।

आओ अभ्यास करें

आपके क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान बन्द रहती है, तो आप इसकी शिकायत किससे करेंगे?

सोनू बोली, ''गुरु जी, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरे जन्म के प्रमाण पत्र को बनाने के लिए ग्राम पंचायत में जाना होगा। लेकिन मुझे यह भी बताईये कि ग्राम सभा क्या होती है ?''

ग्राम सभा

ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र, एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य, उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार और कर्त्तव्य दोनों है। एक तरह से, ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर तीन महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। आम तौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती है और आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो, ग्राम सभा की और भी बैठकें आयोजित कर सकता है।

ग्राम न्यायालय

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

नगरीय स्वशासन

सोनू अपने माता–पिता के साथ शहर में बुआजी के घर पर आयी थी। जिनका मकान बनाने का मुहुर्त पूजन था। अभी पूजन खत्म होकर नींव की खुदाई का कार्य प्रारंभ ही हुआ था कि, सरकारी गाड़ी में कुछ लोग आए। उन्होंने फूफाजी से मकान के कागजात के साथ–साथ निर्माण कार्य की स्वीकृति के आदेश माँगे। फूफाजी ने फाइल में लगे सारे कागज दिखा दिए। वे संतुष्ट हो गए और मुँह मीठा कर चले गए।

रात को जब सभी बैठे तो सोनू ने फूफाजी से पूछा कि, नगर निगम वाले क्यों आए थे? तब फूफाजी ने बताया कि, यह एक सरकारी प्रक्रिया है, निर्माण से पहले नगर निगम से स्वीकृति ली जाती है। शहरों में नगर निगम, नगर परिषद् या नगर पालिका का काम है, तो गाँव में ग्राम पंचायत का। तब सोनू ने कहा कि, फूफाजी मुझे ग्राम पंचायत की जानकारी तो है लेकिन ये नगर निगम, नगर परिषद् या नगर पालिका क्या होती है? तब फूफाजी ने बताया कि यह एक नगरीय शासन व्यवस्था है। जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या के मानदण्डानुसार वार्ड में बाँटा जाता है और सभी वार्ड मिलकर एक निगम की स्थापना करते हैं। इसका मुखिया महापौर या सभापति होता है और वार्ड से चुने प्रतिनिधि पार्षद होते हैं। यह नगर की सभी सुविधाएँ जैसे– सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, चिकित्सा, स्वच्छता आदि का ध्यान रखते हैं, जैसे तुम्हारे ग्राम में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंच द्वारा गाँव के विकास का कार्य किया जाता है।

सोनू ने कहा, जैसे हमारे गांव में सरपंच और वार्ड पंच मिलकर गाँव का विकास देखते हैं तो शहर में ये काम कौन–कौन देखता है और कैसे ?

शहरी शासन के तीन रूप होते हैं। नगर निगम, नगर परिषद् और नगरपालिका। वे बड़े शहर जहाँ जनसंख्या पाँच लाख से ज्यादा हो, वहाँ सालाना आय एक करोड़ से ज्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या एक लाख से ज्यादा व पाँच लाख से कम होती है, वहाँ नगर परिषदों की स्थापना होती है। वे शहर जहाँ जनसंख्या 15 हजार से 1 लाख तक के बीच होती है, वहाँ पर नगरपालिका बोर्ड बनाए जाते हैं।

शहर को अलग–अलग क्षेत्रों मे बाँटा जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से वहाँ की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन संस्थाओं में भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। जिनको अलग–अलग नामों से पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष 'महापौर', नगर परिषद के अध्यक्ष को 'सभापति' तो नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष 'नगरपालिकाध्यक्ष' कहलाता है।

आओ अभ्यास करें

आपके क्षेत्र में विकास के कार्य किसके द्वारा किये जाते हैं?

फूफाजी ने सोनू को यह भी बताया कि, 74 वे संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में, एक तिहाई वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी स्थानों का आरक्षण, जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया जाता है। यह आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उनकी हिस्सेदारी को

बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि इन वर्गों का हिस्सेदारी के साथ प्रतिनिधित्व भी बढ़े।

नगरीय प्रशासन के कार्य

शहरी संस्थाओ के दो तरह के कार्य होते हैं। एक अनिवार्य कार्य जैसे–शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म–मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य हैं, जबकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं, जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है, इन्हें ऐच्छिक कार्य कहा जाता है। जैसे–सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले, प्रदर्शनियों का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था आदि।

सोनू बोली, कौनसा काम वार्डों में कराया जाए, यह तय कैसे होता है?

फूफाजी ने बताया कि, जैसे गाँव में नुक्कड अथवा चौपालों में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं, वैसे ही शहर के महत्त्वपूर्ण स्थलों पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, ये स्थान सार्वजनिक, पुस्तकालय, वाचनालय एवं घंटाघर हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर चर्चा उपरान्त उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद इनके कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं। इन कार्यों के लिए संस्थाओं को तीन माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। एक तो ये केन्द्र और राज्य सरकारों से राशि प्राप्त करती हैं। दूसरा, ये विभिन्न शुल्क लगाकर और जुर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं। तीसरा ये संस्थाएँ अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे पैसा प्राप्त करती हैं।

गाँव व शहरों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

आओ अभ्यास करें

अपने माता–पिता अथवा बड़ों से पूछकर सूची बनाएँ कि आपका परिवार ग्रामीण/शहरी निकाय की संस्थाओं को कौन–कौनसा कर देता है।

शब्दावली

भू–राजस्व – वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है।

सार्वजनिक कार्य – आम जनता से जुड़े कार्य।

पेयजल – पीने योग्य पानी।

अभ्यास प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. नगरीय स्वशासन की इकाई है–

   (अ) नगरपालिका (ब) नगरपरिषद्

   (स) नगर निगम (द) उपर्युक्त सभी ( )

2. हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया–

   (अ) 76वें संविधान संशोधन (ब) 71वें संविधान संशोधन

   (स) 74वें संविधान संशोधन (द) 73वें संविधान संशोधन ( )

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

1. नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि .... कहलाता है।
2. नगर परिषद् के अध्यक्ष को .... कहते हैं।

III. स्तम्भ अ को स्तम्भ ब से सुमेलित कीजिए –

ग्राम पंचायत का मुखिया	प्रधान
जिला परिषद् का मुखिया	खण्ड विकास अधिकारी
पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी	सरपंच
पंचायत समिति का मुखिया	जिला प्रमुख

IV. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य बताइये।
2. पंचायती राज के स्वरूप को चित्र द्वारा दर्शाइये।

V. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. ग्राम पंचायत को आय कहाँ–कहाँ से प्राप्त होती है? लिखिए।
2. नगरीय प्रशासन के कार्य बताइये।
3. ग्राम सभा पर टिप्पणी लिखिये।

राजस्थान में कला एवं संस्कृति

राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। जैसे—आहड़, कालीबंगा, पछमता, बागोर, गिलूण्ड, ओझियाना आदि गाँव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केन्द्र रहे हैं।

सुरक्षा एवं जीवनोपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रायः नदियों, तालाबों व पहाड़ियों या उनके बीच गाँव बसाये जाते थे। मकान प्रायः केलू या घास—फूस से ढके कच्चे मकान होते थे। समृद्ध व्यक्तियों के घर में पट्टशाला, ढ़ालिया, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठे आदि होते थे।

नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी। नागदा, चीरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियों, पहाड़ियों या जंगल से घिरे स्थान में बसाये गये। नगर में मन्दिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी जैसे—देलवाड़ा, इंगोद आदि।

राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में, दुर्गों का निर्माण, हवेलियों का स्थापत्य तथा मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ हैं। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर व कुम्भलगढ़ आदि उल्लेखनीय है।

दुर्ग

दुर्ग प्रायः सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाये जाते थे। राजस्थान को 'दुर्गों की भूमि' कह दिया जाए तो, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊँची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाये जाते थे। दुर्ग के निकट प्रायः गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भर कर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था, ये परिखा कही जाती थी।

दुर्ग शासकों के आवास, सेना व जनसामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भण्डारण, वापी, कुण्ड, जलाशय, इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक, योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे। राजस्थान में प्रायः दुर्ग के लिए "किला" अथवा "गढ़" शब्द का प्रयोग भी किया जाता है।

बूंदी दुर्ग

बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ई. में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बना हुआ है। छत्रशाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरूद्ध महल

के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। भवनों की छतरियाँ, दरबार हॉल की अलंकृत स्तम्भ स्थापत्य कला अनुपम है।

चित्र 10.1 : बूंदी दुर्ग

लोहागढ़ दुर्ग

इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। इस पर कई आक्रमण हुए, लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजेय दुर्ग भी कहा जाता है।

चित्र 10.2 : लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर

रणथम्भौर दुर्ग

ऊँची पहाड़ी के शिखर पर रणथम्भौर का दुर्गम व दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हम्मीर महल, 32 खम्भों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मन्दिर है। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आस–पास का वन क्षेत्र "रणथम्भौर बाघ परियोजना" में आ जाने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जालोर दुर्ग

पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए सुप्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में चार दरवाजे हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। दुर्ग में कुएँ, कुण्ड, मंदिर व एक दरगाह भी बनी हुई है।

चित्तौड़गढ़ दुर्ग

मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। कालान्तर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय–समय पर विकास और विस्तार होता रहा।

यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है, जो दो सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ रहा है। दुर्ग में सात

प्रवेश द्वार है तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गौमुख कुण्ड के उत्तर –पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति (विजय) स्तम्भ बनवाया जो 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊँची जगती (चबूतरा), 122 फीट की ऊचांई लिए नौ खंडों (मंजिला) का स्मारक है जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। नौ खण्डों के विजय स्तम्भ में असंख्य देवी–देवताओं की मूर्तियाँ उत्कीर्ण है, इसलिए इसे "भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश" भी कहा जाता है।

चित्र 10.3 : चित्तौड़गढ़ दुर्ग

कुंभलगढ़ दुर्ग

कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी–बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण, एकाएक नजर नहीं आता है।

यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुम्भलमेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनः निर्माण हुआ। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुम्भा थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 ई. में इसे निर्मित करवाया। नौ पोलों (दरवाजों) से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवार बनी हुई है एवं दीवारों के नीचे गहरी खाईयाँ हैं।

चित्र 10.4 : कुंभलगढ़ दुर्ग

दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ वेदी के साथ ही कई जैन मंदिर, झालीबाव (बावड़ी), मामादेव (महादेव) का कुण्ड, कुम्भस्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक आदि। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है, यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्त्व रहा है।

आमेर दुर्ग

ढूंढाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मानसिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। यहाँ की स्थापत्य कला में हिन्दू एवं मुगल शैली का सुन्दर समन्वय

झलकता है। भवनों में जड़े शीशों की सुन्दरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है।

गागरोन का जल दुर्ग

यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग दो नदियों काली सिंध और आहु नदी के संगम पर निर्मित है। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ–साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिन्दू, मुस्लिम एकता का प्रतीक है।

अन्य दुर्ग

राजस्थान में और भी कई महत्त्वपूर्ण दुर्ग हैं, जिनमें जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती व सुन्दर राजप्रसादों के लिए सुप्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ तो रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। दुर्ग के अन्दर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण है। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है। इसलिए इसे सोनार किला (द गोल्डन फोर्ट) भी कहते हैं।

मंदिर

मंदिरों का विकास गुप्तकाल से माना जाता है, जो गुर्जर–प्रतिहार, गुहिल, चन्देल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य तथा पाल शासकों के समय में भी होता रहा। मंदिर में देवी–देवता की स्थापना होती हैं। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में निम्नांकित है–

मेवाड़ के प्रमुख मंदिर

जगदीश मंदिर (उदयपुर), सहस्रबाहु (सास–बहू) मंदिर (नागदा–उदयपुर), अम्बिका मंदिर (जगत–उदयपुर), श्रीनाथजी का मंदिर (नाथद्वारा, राजसमन्द), श्री एकलिंगजी का मन्दिर (उदयपुर), ऋषभदेव का जैन मन्दिर (उदयपुर), श्री चारभुजानाथ मंदिर (गढ़बोर, राजसमन्द)

चित्र 10.5 : देलवाड़ा का जैन मन्दिर

मारवाड़ के प्रमुख मंदिर

देलवाड़ा जैन मंदिर (आबू–पर्वत, सिरोही), रणकपुर जैन मन्दिर (पाली), किराडू के मंदिर (बाड़मेर), ओसिया के मंदिर (जोधपुर) आदि।

हाड़ौती के प्रमुख मंदिर

हिन्दू मंदिर, बाड़ौली (रावतभाटा), शिव मंदिर, भण्डदेवरा (बारां), कंसवा मंदिर (कोटा), कमलेश्वर महादेव (बूंदी), सूर्य मंदिर, झालरापाटन (झालावाड़) आदि।

शेखावाटी–जयपुर के प्रमुख मंदिर

आभानेरी मंदिर (दौसा), खाटूश्यामजी का मंदिर (सीकर), गोविन्ददेवजी का मंदिर (जयपुर) आदि ।

मंदिर प्रायः राजा, महाराजाओं, रानियों, जागीरदारों, श्रेष्ठियों, जनसामान्य के स्त्री–पुरुषों के सहयोग से समय–समय पर निर्मित हुए हैं।

मूर्तिकला

राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर एवं मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि गुर्जर–प्रतिहार, परमार, चौहान, गुहिल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा।

शैव धर्म की प्राचीन परम्परा में शिव के लिंग–विग्रह व मानवीय प्रतिमाएँ बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्द्धनारीश्वर, उमा–महेश्वर, हरिहर, अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया है। इन सभी प्रतिमाओं का सौन्दर्य अनुपम है।

वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मीनारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि की मूर्तियों में वैकुण्ठ, अनन्त, त्रैलोक्य मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है।

शाक्त देवालयों में 'महिषासुर मर्दिनी' की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसियाँ, वरमाण (सिरोही), झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य–प्रतिमाएँ देखी जा सकती है। सिरोही क्षेत्र में बसन्तगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएँ, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मन्दिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसियाँ की जैन मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय है।

मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश–विन्यास तथा विभिन्न मुद्राएँ मूर्तिकला की विशेषता है।

मोलेला मूर्तिकला :– राजसमंद जिले के मोलेला गाँव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। ये शिव–पार्वती, पणिहारी, भैरूजी, हाथी, गणेश, ऊँट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला, शेर, मगरमच्छ, मूषक, आदि लोक देवी–देवताओं एवं जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। यह मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पका कर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं।

चित्र 10.6 : मोलेला मूर्तिकला

हवेलियाँ

राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुरूप, हवेलियों का निर्माण हुआ जिसमें, जयपुर की हवेली परम्परा सुप्रसिद्ध है। शेखावाटी के श्रेष्ठियों ने इस परम्परा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुन्दगढ़ की विशाल हवेलियाँ प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सालमसिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली की नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलौदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियाँ भी, स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं।

चित्र 10.7 : पटवों की हवेली, जैसलमेर

छतरियाँ

राजस्थान के शासकों, सामन्तों, श्रेष्ठि वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाये, वे छतरियाँ तथा देवल के नाम से जाने जाते हैं।

अलवर में मूसी महारानी की छतरी, करौली में गोपालसिंह की छतरी, बूंदी में चौरासी खम्भों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गैंटोर

चित्र 10.8 : चौरासी खम्भों की छतरी बूंदी

में ईश्वरसिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंतथड़ा, उदयपुर में आयड़ व जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इन विशालकाय, भव्य छतरियों को सुन्दर नक्काशी एवं भित्तिचित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य की कला में चार चाँद लगा देता है।

चित्रकला

राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का सम्पन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ–साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। यह कला राजदरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें प्रश्रय दिया। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परम्परा के साथ काम कर एक नूतन शैली को जन्म दिया जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई।

चित्र 10.9 : बणी–ठणी

चित्र शैली से तात्पर्य चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके से हैं।

राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठ भूमि, विभिन्न पशु–पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे–जयपुर, अलवर के चित्रों मे हरे रंग का,जोधपुर व बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफेद या गुलाबी रंग और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ है।

चित्रों की पृष्ठभूमि में, उदयपुर शैली में कदम्ब वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले, कोटा–बूंदी शैली में लम्बे खजूर के वृक्ष, जयपुर–अलवर शैली में पीपल अथवा वटवृक्ष, बीकानेर व जोधपुर शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। विभिन्न शैलियों में पशु–पक्षी भी अलग–अलग हैं जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर व अलवर शैली के चित्रों में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री–पुरुषों की आकृतियाँ भी अलग–अलग है।

किशनगढ़ शैली में 'बणी–ठणी' में नारी सौन्दर्य को चित्रित किया गया है। आमेर (जयपुर), जोधपुर व बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। प्रायः शिकार, मनोरंजन के क्रीड़ाओं व उत्सवों के चित्रों के साथ–साथ प्राकृतिक, दैनिक जीवन, रीति–रिवाज एवं परम्पराओं से सम्बन्धित चित्र भी बनाए जाते थे।

संगीत कला

राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्द्धक संगीत की ध्वनियाँ एवं वाद्ययंत्रो की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। यहां विविध रागों से युक्त संगीत के साथ–साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों एवं गायिकी का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग–रागिनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया जिसमें मीराँ बाई, दादू, चरणदास, दया बाई, सहजोबाई के नाम विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए हैं। जनसामान्य के बीच लोक–संगीत में संस्कार, उत्सव–पर्व, देवी–देवताओं के जागरण एवं वैवाहिक गीत भी गाये जाते हैं।

राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्तिकला, हवेलियाँ, छतरियों में देखने को मिलती है जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत को अक्षुण्ण रखना हम सबका दायित्व है।

शब्दावली

स्थापत्य कला – भवन निर्माण कला

प्रतिमा – मूर्ति

दुर्गम – जहाँ पहुँचना कठिन हो

भित्ति चित्रण – दीवारों पर चित्र बनाना

I. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए–

1. निम्न में से कौनसा जोड़ा सुमेलित नहीं है?

	मंदिर		स्थान
(अ)	देलवाड़ा का जैन मंदिर	–	आबू पर्वत (सिरोही)
(ब)	रणकपुर के जैन मंदिर	–	पाली
(स)	श्री एकलिंग जी का मंदिर	–	जयपुर
(द)	खाटूश्याम जी का मंदिर	–	सीकर ( )

2. निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है ?

(अ) आमेर दुर्ग (ब) कुंभलगढ़ दुर्ग

(स) रणथम्भौर दुर्ग (द) जालौर दुर्ग ( )

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. बूंदी में .... खंभों की छतरी स्थापत्य कला का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।
2. बणी–ठणी चित्र शैली.............................. की प्रसिद्ध शैली है।

III. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. मंदिरों का विकास किस काल से प्रारंभ हुआ?
2. मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है?
3. विजय स्तम्भ का निर्माण किस शासक ने करवाया था?

IV. लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम बताइये एवं किन्हीं दो दुर्गों का वर्णन कीजिए।
2. राजस्थान में संगीत कला पर टिप्पणी लिखिए।

विद्यार्थियों के लिए लाभकारी योजनाएँ

क्र.सं.	छात्रवृतियां	पात्रता हेतु आयकर सीमा वार्षिक	कक्षा	छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)	
				छात्र	छात्रा
1.	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 6-8)	माता-पिता/संरक्षक आयकर दाता न हो	6 से 8	75 रू (प्रतिमाह)	125 रू (प्रतिमाह)
2.	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 6-8)			75 रू (प्रतिमाह)	125 रू (प्रतिमाह)
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 6-10)	माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख रू से अधिक न हो तथा आयकर दाता न हो	6 से 10	डेस्कॉलर हेतु 100 रू प्रतिमाह एवं हॉस्टलर हेतु 500 रू प्रतिमाह	डेस्कॉलर हेतु 100 रू प्रतिमाह एवं हॉस्टलर हेतु 500 रू प्रतिमाह
4.	अति पिछड़ा वर्ग हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 6-10)	माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रू से अधिक न हो	6 से 10	50 रू प्रतिमाह कक्षा 6-8 एवं 60 रू प्रतिमाह कक्षा 9-10	100 रू प्रतिमाह कक्षा 6-8 एवं 120 रू प्रतिमाह कक्षा 9-10
5.	सफाई के कार्य से जुड़े एवं जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे परिवार के विद्यार्थियों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 1-10)	-	1 से 10	डेस्कॉलर हेतु 225 रू प्रतिमाह तथा 750 एकमुश्त अनुदान प्रतिवर्ष	डेस्कॉलर हेतु 225 रू प्रतिमाह तथा 750 एकमुश्त अनुदान प्रतिवर्ष
				हॉस्टलर हेतु 700 रू प्रतिमाह तथा 1000 एकमुश्त अनुदान प्रतिवर्ष	हॉस्टलर हेतु 700 रू प्रतिमाह तथा 1000 एकमुश्त अनुदान प्रतिवर्ष
6.	अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 1-10)	माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रू से अधिक न हो	1 से 10	**प्रवेश शुल्क**-कक्षा 6 से 10 डेस्कॉलर एवं हॉस्टलर हेतु 500 रू. प्रतिवर्ष या वास्तविक शुल्क या जो कम हों। **शिक्षण शुल्क**-कक्षा 6 से 10 डेस्कॉलर एवं हॉस्टलर हेतु 350 प्रतिमाह या वास्तविक शुल्क या जो कम हों। **रखरखाव भत्ता** - 100 रू. प्रतिमाह डेस्कॉलर हेतु कक्षा (1 से 10) एवं 600 रू. प्रतिमाह हॉस्टलर हेतु (कक्षा 6 से 10)	
7.	प्री कारगिल (01.04.99 से पूर्व) तथा पोस्ट कारगिल (01.04.99 से पश्चात) युद्ध में शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों को देय छात्रवृति (कक्षा 1-12)	-	1 से 12	**180 रू प्रतिमाह**	**180 रू प्रतिमाह**

"आपकी सजगता, बच्चे की सुरक्षा"

यदि आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं या दिखते हैं तो -

- नशा करने वाले बच्चे
- गुम हो गये बच्चे
- परित्यक्त बच्चे या लावारिस बच्चे
- बाल मजदूर
- सड़क पर रहने वाले बच्चे
- रेलवे के सम्पर्क में आने वाले बच्चे
- परिवार से उपेक्षित व अनाथ बच्चे
- विषम पारिवारिक स्थिति वाले बच्चे
- शोषित बच्चे
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे

बाल तस्करी एवं इसके अलावा यदि आपको निम्न विषयों पर जानकारी हो या समस्या हो तो भी तत्काल सम्पर्क करें।

- बच्चों के पुनर्वास में सहायता हेतु
- दत्तक ग्रहण में सहायता हेतु
- हुनर विकास योजना के लाभ में सहायता हेतु
- पालन हार योजना में सहायता हेतु
- बाल विवाह होने की सूचना हेतु
- बच्चों के विरूद्ध अपराध रोकने के सम्बन्ध में सहायता

बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान

CHILD LINE 1098 NIGHT & DAY

बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान

बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार

20/198, सेक्टर–2, कावेरी पथ, के.एल. सैनी स्टेडियम के पास, मानसरोवर, जयपुर, फोन : 0141–2399335

E-mail : dcr.raj@rajasthan.gov.in • Website : http://sje.rajasthan.gov.in/commissions/dcr/